मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 18.03.2024

अनुमानित कीमत ₹ 2.5 करोड़ की कन्टेनर ट्रक में लदी 930 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पुलिस, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 17.03.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत सुकृत बार्डर बहद ग्राम हिनौता छातो के पास सघन चेकिंग कर कन्टेनर ट्रक अंकित वाहन संख्याः JH 05 M 7932 (वास्तविक वाहन संख्या HR 55 M 7932) सवार 01 अभियुक्त पवन कुमार पुत्र शिवराम निवासी साहा थाना साहा जनपद अम्बाला, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त कन्टेनर ट्रक में लदी हुई कुल 930 पेटी/11160 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) अवैध अंग्रेजी शराब (नाइट क्वीन डिलक्स व्हीस्की ब्राण्ड) बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0स0- 59/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त कन्टेनर ट्रक को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अंग्रेजी शराब को हिमांचल प्रदेश से झारखण्ड ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बिक्री हेतु ले जा रहे शराब को विभिन्न प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने से पूर्व वाहन का नम्बर प्लेट उस प्रदेश के अनुसार बदल देते है ताकि पकड़े न जा सके।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. पवन कुमार पुत्र शिवराम निवासी साहा थाना साहा जनपद अम्बाला , हरियाणा, उम्र करीब-44 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- कुल 930 पेटी/11160 बोतल (प्रत्येक बोतल 750 ml) अंग्रेजी शराब (नाइट क्वीन डिलक्स व्हीस्की ब्राण्ड)
- कन्टेनर ट्रक अंकित वाहन संख्याः JH 05 M 7932 (वास्तविक वाहन संख्या HR 55 M 7932)।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-59/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अहरौरा मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय –

सुकृत बार्डर बहद ग्राम हिनौता छातो के पास से दिनांक 17.03.2024 को समय करीब 23.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा बृजेश सिंह मय पुलिस टीम।
- उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. मय पुलिस टीम।
- उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।
- निरीक्षक अखिलेश चन्द्र त्रिवेदी मय आबकारी टीम।

(सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया)।